प्रेस नोट
दिनांक- 24.07.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, 16 मॉडीफाइड साइलेंसर, 26 प्रेशर हॉर्न एवं 10 अनाधिकृत हूटरों का कराया गया विनिष्टीकरण

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद में यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित एवं ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाए रखने के हेतु यातायात पुलिस द्वारा अवैध प्रेशर हॉर्न, अनाधिकृत हूटर एवं मॉडीफाइड साइलेंसर के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में प्रभारी यातायात अधिकारी द्वारा अभियान चलाकर वाहनों में अवैध रूप से लगाए गए **16 मॉडीफाइड साइलेंसर, 26 प्रेशर हॉर्न एवं 10 अनाधिकृत हूटर** हटवाए गए थे। उक्त अवैध उपकरणों का आज नियमानुसार **विनिष्टीकरण (नष्ट) कराया गया।** इस कार्यवाही का उद्देश्य आमजन को यह संदेश देना है कि वाहनों में अनाधिकृत रूप से लगाए गए प्रेशर हॉर्न, हूटर एवं मॉडीफाइड साइलेंसर का प्रयोग न केवल ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है, बल्कि यह यातायात नियमों का उल्लंघन भी है, जिसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा समस्त वाहन चालकों से अपील की गयी है कि अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के अवैध उपकरणों का प्रयोग न करें तथा यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 24.07.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी तरीके से जमीन बैनामा कराने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री योगेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत 1. मु0अ0सं0-814/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B भादवि, 2. मु0अ0सं0-815/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त राकेश तिवारी पुत्र शिवप्रताप तिवारी निवासी मिश्रौलिया थाना को0नगर गोण्डा हालमुकाम रेशमफार्म थाना को0देहात गोण्डा को कटहाघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी मीरा श्रीवास्तव पत्नी देवकीनंदन श्रीवास्तव निवासीनी मोहल्ला राधाकुंड थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण द्वारा आपसी मिलीभगत से कूटरचना व फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्रार्थिनी की भूमि पर दिनांक 21.08.2023 को फर्जी बैनामा करा लिया गया है। वादिनी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ।

आज दिनांक 24.07.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त राकेश तिवारी पुत्र शिवप्रताप तिवारी निवासी मिश्रौलिया थाना को0नगर गोण्डा हालमुकाम रेशमफार्म थाना को0देहात गोण्डा को कटहाघाट पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. राकेश तिवारी पुत्र शिवप्रताप तिवारी निवासी मिश्रौलिया थाना को0नगर गोण्डा हालमुकाम रेशमफार्म थाना को0देहात गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0-814/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0-815/2024, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120B भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

1. उ0नि0 अजय कुमार तिवारी
2. का0 इन्द्रजीत चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 24.07.2026

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष कारावास व रूपये 40,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.12.2020 को थाना खरगूपुर क्षेत्रांतर्गत निवासी वादी द्वारा थाना खरगूपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग नातिन दिनांक 09.12.2020 को सुबह पढने के लिए निकली थी छुट्टी होने के वाद भी शाम तक घर नही पहुँची काफी खोजबीन व रिस्तेदारी में पता किया गया पता नही चला। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियोग में धारा 376 भादवि की बढोत्तरी की गयी थी तथा दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त 01. संदीप पुत्र वीरेन्द्र तिवारी को थाना खरगूपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 05.03.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में थाना खरगूपुर में पंजीकृत शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुराचार सम्बन्धी अपराध में आज दिनांक 24.07.2026 को अभियोजक श्री अशोक सिंह व सुनील मिश्रा, थाना खरगूपुर के पैरोकार का0 वासुदेव कुमार व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त संदीप पुत्र वीरेन्द्र तिवारी को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष कारावास व रु0 40,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. संदीप पुत्र वीरेन्द्र तिवारी निवासी परसा फरेंदा शुक्ल थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0- 291/2020, धारा 363, 366, 376 भादवि 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।